संख्या-115/2022/671(2)41-2022-08(बजट)/2022

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 16 मार्च 2022**

विषयः- मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं की द्वितीय /तृतीय किश्त की अवशेष राशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-7997/मु0मं0प0सं0यो0(तृतीय किश्त)/2021 दिनांक 15 मार्च 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उपर्युक्त पत्र दिनांक 15-3-22 द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत कुल 385 योजनायें स्वीकृत हैं । उक्त 385 परियोजनाओं में से 359 योजनायें पूर्ण हो चुकी/प्रगति पर हैं, जिनकी द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त हो चुकी है। 23 योजनाएं अभी प्रारंभिक अवस्था में है , जिनमें केवल प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त हुई है । 03 योजनाएं प्रथम किश्त का उपयोग कर चुकी है, जिनके उपयोगिता प्रमाण पत्र पृथक से द्वितीय किश्त अवमुक्त किए जाने हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं। अतः पूर्ण/प्रगति पर स्थित 359 योजनाओं की द्वितीय/तृतीय किश्त की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु कार्यदायी संस्थावार प्रस्ताव महानिदेशक पर्यटन के अनुमोदनोपरान्त शासन प्रेषित किये गये हैं। यह भी अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत 359 योजनाओं में प्रथम किश्त की धनराशि उपयोग कर लिए जाने के पश्चात् द्वितीय/तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त करते समय केवल निविदा की धनराशि ही अवमुक्त की गयी थी। तत्समय जी0एस0टी0, सेन्टेज एवं लेबर सेस की धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी थी। उक्त क्रम में पूर्व में शासनादेश में निर्देश प्राप्त हुए थे कि जी0एस0टी0 एवं लेबर सेस जमा के चालान की प्रति कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त करने के पश्चात् ही इन धनराशियों को अवमुक्त किया जाए। वित्तीय वर्ष की समाप्ति सन्निकट है तथा समस्त योजनाओं के जी0एस0टी0 चालान अभी कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त नहीं हुए हैं। केवल उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा अपनी योजनाओं के सापेक्ष जी0एस0टी0 मद में जमा की गयी धनराशि के 149 प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये गये हैं महानिदेशक पर्यटन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जी0एस0टी0 लेबर सेस आदि नियमानुसार जमा कराना कार्यदायी संस्थाओं का दायित्व है तथा इन्हें मानीटर करने का दायित्व सम्बन्धित विभागों यथा-वाणिज्य कर विभाग तथा श्रम विभाग का है। अतः द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशियां अवमुक्त कराने हेतु शासन को प्रस्ताव तत्काल प्रेषित किये जाएं। उक्त के क्रम में योजना के सापेक्ष कुल देय धनराशि से अभी तक अवमुक्त कुल धनराशि (प्रथम/ द्वितीय/तृतीय) घटाते हुए, अवशेष देय धनराशि का विवरण यू0पी0पी0सी0एल0 एवं सी0एण्डडी0एस0 द्वारा उपलब्ध करायी गई संलग्न शीट(तालिका) के अनुसार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कॉलम संख्या-19 में अंकित कर प्रेषित करते हुये अवशेष धनराशि नियमानुसार सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के पक्ष में अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त प्रस्ताव के साथ कार्यदायी संस्था- सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0जल निगम द्वारा संचालित 42 प्रायोजनाओं के संबंध में उपलब्ध करायी गई अवशेष धनराशियों की मांग शीट में अंकित मांग के आधार पर कुल धनराशि रू0-25500048.26 (रूपये दो करोड पचपन लाख अडतालिस एवं छब्बीस पैसे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल इस प्रतिबन्ध के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं **कि निदेशालय स्तर पर धनराशि के भुगतान के पूर्व उक्त आगणन शीट में अंकित अवशेष धनराशि का परीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत मूल कार्यो की निविदा लागत के सापेक्ष अन्य समस्त मदों यथा- कन्टीजेन्सी(मूल सिविल/विद्युत कार्यों आदि की कुल लागत का 2 प्रतिशत), लेबरसेस, सेन्टेज, जी0एस0टी0, आदि का कैलकुलेशन /भुगतान विद्यमान नियमों के अधीन ही किया गया है तथा किसी भी मद में मानक से अधिक भुगतान न हो।**

4- उपरोक्त प्रस्तर- 3 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष आहरण /भुगतान के पूर्व निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृतियों से संबंधित सुसंगत शासनादेशों में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है। **इस परिप्रेक्ष्य में कार्यदायी संस्था से वास्तविक लागत/तकनीकी स्वीकृति /एम0बी0/अनुबंध/TenderedTenderedTenderedटेण्डर्ड डाक्यूमेण्ट एवं प्रायोजना पर व्यय की गई धनराशि का वास्तविक व्यय विवरण/मेजरमेण्ट डिटेल्स एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराया जायेगा।**

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020 , शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 , शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 एवं वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनाँक : 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यो को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) प्रायोजनाओं के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में *तिथिवार विवरण एवं प्रामाणिक प्रपत्र -जी0एस0टी0 इन्वायस* सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च 2021 के प्रस्तर-2(9) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**V II**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना में अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

5- प्रस्तर-3 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार–08- मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2021/बी-1-141/दस-2021-231/2020 दिनांक 20 जनवरी 2021 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारीगण।
4- मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन लखनऊ।
5- सुश्री प्रीति श्रीवास्तव, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8- संबंधित परियोजना प्रबंधकगण सी0एण्ड डी0एस0उ0प्र0 जल निगम लि0।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ,उ0प्र0 शासन।
10- संबंधित उप निदेशकगण पर्यटन/ क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारीगण।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।